

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई पुत्र बंजारा रायसिंह भाई,
खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स आई श्री खोडीयार काठियावाडी ढाबा, तलहटी
चौराहा, शान्तिवन, आबूरोड़, जिला- सिरौही
स्थाई पता:- मउटांडा, भीलोडा, मउ नवलपुर, सांबरकाठा, गुजरात-383245

F.S.S.Act Case No. 59/2025

**“अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006”**

-: निर्णय :-

दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 30-4-2025 को मैसर्स आई श्री खोडीयार काठियावाडी ढाबा, तलहटी चौराहा, शान्तिवन, आबूरोड़, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही (लुज) का नमूना संख्या S-2681, खाद्य विश्लेषक, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर के विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./739/Act/2025/739 दिनांक 22-5-2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को विधिवत नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 17-12-2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही, दिनांक 30-4-2025 को समय 07-15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु मैसर्स आई श्री खोडीयार काठियावाडी ढाबा, तलहटी चौराहा, शान्तिवन, आबूरोड़, जिला- सिरौही पर गये, वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई पुत्र बंजारा रायसिंह भाई उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स आई श्री खोडीयार काठियावाडी ढाबा, तलहटी चौराहा, शान्तिवन, आबूरोड़, जिला- सिरौही के निरीक्षण के दौरान आई श्री खोडीयार काठियावाडी ढाबा के अन्दर एक एल्युमिनियम के भिगोने में लगभग 6 किलोग्राम खाद्य

.....पेज दो पर

प्रति. विद्या बधिकुं
सिरौही-387001



पदार्थ दही (लुज) आम जन के उपयोग हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष प्रतिवादी बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई को भरकर दी एवं मैसर्स आई श्री खोडीयार काठियावाडी ढाबा, तलहटी चौराहा, शान्तिवन, आबूरोड़, जिला- सिरौही के अन्दर एल्युमिनियम के भिगोनें में आमजन के उपयोग हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ दही (लुज) लगभग 6 किलोग्राम में से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ दही (लुज) को प्रतिवादी विक्रेता बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई से उक्त गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/- (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीद शुदा दही (लुज) को प्रतिवादी विक्रेता बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई एवं उक्त गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बातलों में बराबर बराबर (200-200 ग्राम) मात्रा में डाला एवं चारों नमूना बोतलों में 16-16 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों नमूना बोतलों को अलग अलग ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार का लेबल पर नमूना लेने की दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ का विवरण दही (लुज) एवं अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-2681 आदि अंकित कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना बोतलों पर पर नियमानुसार गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने चारों नमूना बोतलों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दही (लुज) की चारों नमूना बोतलों को विधिवत सील चपड़ी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दही (लुज) की चारों नमूना बोतलों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुये हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बन्द किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 02-05-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर VI का एक सील बन्द लिफाफा भावना, कार्मिक., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 30-04-2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स आई श्री खोडीयार काठियावाडी ढाबा, तलहटी चौराहा, शान्तिवन, आबूरोड़, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई से खाद्य पदार्थ दही (लुज) (नमूना संख्या S-2681) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में

.....पेज तीन पर

प्रति. जिला अधिकारी
सिरौही-387001




आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये दही (लुज) के नमूना संख्या S-2681 की खाद्य विश्लेषक, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./739/Act/2025/739 दिनांक 22-05-2025 में खाद्य पदार्थ दही (लुज) का नमूना संख्या S-2681, अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई पुत्र बंजारा रायसिंह भाई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, आई श्री खोडीयार काठियावाडी ढाबा, तलहटी चौराहा, शान्तिवन, आबूरोड़, जिला- सिरौही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ दही (लुज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ दही (लुज) (नमूना संख्या S-2681) के विक्रय हेतु प्रतिवादी बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई पुत्र बंजारा रायसिंह भाई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, आई श्री खोडीयार काठियावाडी ढाबा, तलहटी चौराहा, शान्तिवन, आबूरोड़, जिला- सिरौही, स्थाई पता: मउटांडा, भीलोडा, मउ नवलपुर, सांबरकाठा, गुजरात-383245 पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी बंजारा विष्णु भाई रायसिंह भाई पुत्र बंजारा रायसिंह भाई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, आई श्री खोडीयार काठियावाडी ढाबा, तलहटी चौराहा, शान्तिवन, आबूरोड़, जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरौही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)